



कृषि विश्वविद्यालय, कोटा
बोरखेडा, बारा रोड, कोटा 324001 (राज.)
AGRICULTURE UNIVERSITY, KOTA
Borkhera, Baran Road, Kota 324001 (Raj.)

Tel : 0744-2321205
Email: registrar@aukota.org

क्रमांक एफ 2 (167/2) कृ वि वि / कोटा/ स्था/ 2023/ 15797

दिनांक : 07/02/2024

सूचना

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के विज्ञापन सं. AUK/ Non- Teaching/ 2023/ 01/ 5308; Date: 12-07-2023 के अंतर्गत निम्नलिखित अशैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रथम तथा द्वितीय फेज की परीक्षाओं के संयुक्त प्राप्तियों की वरीयता तथा विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षित रिक्तियों के आधार पर समिति द्वारा अनुशंसित अस्थायी योग्य (Provisionally eligible) अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं जांच निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में किया जाएगा। अतः निम्न रोल नंबर के अस्थायी योग्य अभ्यर्थी संलग्न सूची अनुसार (Annexure-I) अपने सभी मूल दस्तावेजों एवं समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियों के एक सेट के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।

पद का नाम	दिनांक/समय	रोल नंबर
आशुलिपिक	17.02.2024 प्रातः 10.30 बजे	10421003, 10421010, 10421013, 10421059, 10421073 10421080, 10421085, 10421086, 10421092
आशुलिपिक ग्रेड-III	17.02.2024 प्रातः 11.30 बजे	10721003, 10721010, 10721016, 10721019, 10721021 10721025, 10721026, 10721033, 10721044, 10721051 10721054, 10721066, 10721083, 10721091, 10721094
क्लर्क ग्रेड- II	17.02.2024 दोपहर 2.30 बजे	10621040, 10621053, 10621057, 10621058, 10621068 10621079, 10621081, 10621100, 10621110, 10621121 10621136, 10621146, 10621153, 10621159, 10621169 10621200, 10621217, 10621231, 10621235, 10621279 10621282, 10621294, 10621297, 10621332, 10621339 10621374, 10621424, 10621431, 10621444, 10621450 10621457

विश्वविद्यालय में लागू राज्य सरकार के नियमानुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना F.7 (1)/DOP/A II/95/Pt. दिनांक 16.03.2023 के अनुसार 100/- रुपये के नॉन जुडीशल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित संलग्न प्रारूप (Annexure-2) में शपथ पत्र भी साथ लावे।

इस संबंध में आपको पत्र (स्पीड- पोस्ट तथा ई-मेल) द्वारा भी सूचित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा इस हेतु कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा। दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन से ही किसी अभ्यर्थी को चयनित होने का अधिकार नहीं होगा।


कुलसचिव

मूल दस्तावेजों की सूची

मूल दस्तावेजों की जांच व सत्यापन हेतु निम्न सूची अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों। साथ ही समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति का एक सेट भी साथ लावे।

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा सेकन्डरी (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र ।
2. मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर हायर सेकन्डरी (12 वीं) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र।
3. विज्ञापन में दी गई क्लर्क ग्रेड- II पद की योग्यता/पात्रता से संबंधित कंप्यूटर विषय में डिग्री/ डिप्लोमा/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र।
4. मूल निवास प्रमाण पत्र।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए) ।
6. विशेष श्रेणी (विधवा, परितक्यता, विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक) का वैध प्रमाण पत्र।
7. विश्वविद्यालय में लागू राज्य सरकार के नियमानुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना F.7(1)DOP/A II/95/Pt. दिनांक 16.03.2023 के अनुसरण में संलग्न प्रारूप (Annexure - II) में 100/- रुपये के नॉन जुडीशल स्टाम्प पर नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र ।
8. अन्य कोई आवश्यक संबंधित दस्तावेज।

Affidavit

I..... S/o.....
 caste age
 resident of do hereby solemnly affirm:

1. That I am not a disqualified candidate for the purpose of appointment according to provisions of Government of Rajasthan, Department of Personnel (A-II) Notification No. F 7(1)DOP/ A-II/ 95/ Pt. dated 16.03.2023, which is as under:

“No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 1.6.2002.

Provided that

- a. The candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/ she has on 1st June, 2002, does not increase.
- b. Where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- c. While counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- d. any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage, he is not disqualified for appointment under this sub rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such marriage.
- e. The provisions of this sub rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee woman.

That at present I have alive children, details of whose birth is as follows:

- i. Children born before 1.6.2002 in number.
- ii. Children born on or after 1.6.2002 in number.

That increase in number of children more than two born on or after 1.6.2002 is due to –

- Delivery dated resulting into birth of number of children born on same delivery.
- Delivery dated resulting in to birth of number of children having disability.
- Delivery dated resulting into birth of number of children out of single delivery from a remarriage under law.
- that I am a widow/ divorcee woman

SIGNATURE OF DEPONENT